रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 3, 2015/माघ 14, 1936
No. 257] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 2015/MAGHA 14, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2015

का.आ.342(अ).– यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1037 (अ), तारीख 07.05.2010 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69ए (मध्यप्रदेश राज्य में विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर मुलतई से शुरू होकर चिखली, दुनावा छिंदवाड़ा, चौरई को जोड़ते हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर सिवनी पर समाप्त होते हुए) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 बी (मध्यप्रदेश राज्य में विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग 26 पर नरसिंहपुर से शुरू हो रहे राजमार्ग को हरोरी, अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा, सौसर को जोड़ते हुए) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जिसे सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया तथा जिसमें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12.10.2011, सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16.01.2014 और सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21.11.2014 द्वारा इसमें संशोधन किये गये थे (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा यह अधिसूचित करती है कि 91.066 कि.मी. से 152.35 कि.मी. तक छिंदवाड़ा (रिंग रोड से) सिवनी सेक्शन के पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन के उपयोग हेतु, यांत्रिक वाहनों पर सड़क की निवल लम्बाई लगभग 55.869 कि.मी. और संरचना (जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) की समकक्ष लम्बाई 12.610 कि.मी., कुल लम्बाई 1.216 कि.मी.के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर, सारणी 1 के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दरों के 60% की दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) लगभग 4.2 कि.मी. लम्बाई वाले बाइपास के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 90% की दर पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा और उक्त प्राधिकरण को वास्तविक कार्यान्वयन की तारीख को तथा उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, उक्त शुल्क को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात;–

सारणी 1

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
1	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
2	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
3	बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
4	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
5	भारी संनिर्माण मशीन (भा.सं.म.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
6	बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट लम्बाई हेतु, शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
सिवनी जिले में फुलारा गांव के पास रारा–347 पर 139.000 कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज 106.000)	55.869 (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

(2) उपर्युक्त के अतिरिक्त, 60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए, ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिसपर शुल्क संदेय है
सिवनी जिले में फुलारा गांव के पास रारा–347 पर 139.000 कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज 106.000)	1.216*	12.160	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

*संरचनाओं (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) का ब्यौरा निम्नप्रकार हैः

क्रम सं0	संरचना का अवस्थान			लम्बाई (मीटर)
	प्रकार	प्रारम्भिक चैनेज	समापन चैनेज	
1.	आर ओ बी	103.051	103.926	875
2.	बड़ा पुल (पेंच)	108.831	109.011	180
3.	बड़ा पुल (बेनगंगा)	148.077	148.238	161
			कुल	1216

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपए या अधिक की लागत वाले निम्नलिखित बाइपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की लम्बाई हेतु, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य एवं संदेय होगा।

टोल प्लाजा का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	डिजाइन चैनेज			बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	कुल लागत (करोड़ रुपए में)	दर जिसपर शुल्क संदेय है
	बाइपास का नाम	निम्नलिखित से शुरू होकर	निम्नलिखित पर मिलते हुए			
सिवनी जिले में फुलारा गांव के पास रारा–347 पर 139.000 कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज 106.000)	चौरई	116.701	120.901	4.200	23.91	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%
			कुल	4.200		

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2014–15 के लिए मासिक पास की दर 225.00 रूपए (दो सौ पच्चीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6 जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. जो यांत्रिक वाहन नियम 4 के उप–नियम (2) के अधीन, अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग अथवा टोल प्लाजा को पार करने की तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक लदे हुए भार को हटा नहीं दिया जाए। नियम 4 के उप–नियम (2) के अधीन यांत्रिक वाहन के चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसे यांत्रिक वाहन की श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट–प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10. ऊपर सारणी 1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा खण्ड की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाएगा।

11. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 348.87 करोड़ रुपए है। पंजीगत लागत परिवर्तनाधीन क्योंकि भूमि अर्जन, जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने वाकी है। अंतिम पूंजीगत लागत अलग–से अधिसूचित की जाएगी। प्राधिकरण उगाहे गए प्रयोक्ताशुल्क के जरिए वूसली गई पंजीगत लागत का रिकार्ड रखेगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के उपरान्त लिए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा.सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/14–15/जीसी–छिंदवाड़ा–II(छिंदवाड़ा–सिवनी)]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2015

S.O. 342 (E).— Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O.1037 (E) dated 07.05.2010 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted National Highway No. 69A (starting from Multai on existing National Highway No. 69 connecting Chikhli, Dunawa, Chhindwara, Chaurai and terminating at Seoni on National Highway No. 7 in the State of Madhya Pradesh) and National Highway No. 26B (the highway starting from Narsinghpur on the existing National Highway No. 26 connecting Harrari, Amarwada, Chhindwara, Sausar in the state of Madhya Pradesh) to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published *vide* G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended *vide* G.S.R 950 (E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12.10.2011, G.S.R 778(E) dated 16th December, 2013, G.S.R 26(E) dated 16thJanuary, 2014 and G.S.R. 831(E) dated 21.11.2014(hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of 2-lane with paved shoulderChhindwara (from Ring Road)-Seonisection from km 91.066 to km 152.351at 60% of the rate

specified in column (3) of the Table-1(hereinafter referred to as "base rate") for net road length of approx.55.869 km and for 12.610 km equivalent length of structure (having more than 60 m length, aggregate length of 1.216 km) and at 90% of the base rate specified in column (3) of the Table-1 for bypass length of approx. 4.2 km on the Type of Vehicles specified in column (2) of Table-1 below, and authorizes the said Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee on and from the date of actual implementation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later:

TABLE-1

S. No.	Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)	(3)
1	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
2	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
3	Bus or Truck (Two Axles)	2.20
4	Three-axle commercial vehicles	2.40
5	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
6	Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (Design chainage)	Length (in km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 139.000 (existing Chainage km 106.000) on NH-347, near Village Fulara in District Seoni	55.869 (Excluding length of structures >60m length)	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following toll plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (Design chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 139.000 (existing Chainage km 106.000) on NH-347, near Village Fulara in District Seoni	1.216*	12.160	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

* The details of structures (> 60 m length)are as under:

Sl. No.	Location of Structure			Length (m)
	Type	Start Ch.	End Ch.	
1.	ROB	103.051	103.926	875
2.	Major Bridge (Pench)	108.831	109.011	180
3.	Major Bridge (Benganga)	148.077	148.238	161
			Total	1216

3. In additionto above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass costing Rs. 10 crore or more, at the following Toll Plaza, for the length of bypass specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza(s) (Design chainage)	Design Chainages			Length of bypass (in km) for which additional fee is payable	Total Cost (Rs. in crore)	Rate at which fee is payable
	Name of Bypass	Taking off at	Merging at			
At km 139.000 (existing Chainage km 106.000) on NH-347, near Village Fulara in District Seoni	Chourai	116.701	120.901	4.200	23.91	90% of the base rates mentioned in Table-1 above
			Total	4.200		

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred and Fifteen only)for the year 2014-15, which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under sub-rule (2) of rule 4, shall not be permitted to use the National Highway or crossing the toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the national highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles under sub-rule (2) of rule 4.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 348.87 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/ 13013/ CO/ 14-15/ GC-Chhindwara-II(Chhindwara-Seoni)

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

609GI/15-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.